२५/१/२३ पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को आवाज
लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी
वकील प्रार्थी व प्रार्थी न्यायालय मे हाजिर नही होने
पर आवेदन पत्र/मुकदमा अदम हाजरी अदम पैरवी
मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।